

भारत सरकार
व्यवसाय और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096.



Government of India
Ministry of Commerce & Industry,
Office of the Development Commissioner,
SEEPZ-Special Economic Zone,
Andheri (E), Mumbai - 400096.

वेबसाइट : www.scepz.gov.in, ई-मेल : dcseepz-mah@nic.in, टेलीफोन : 022-28290856/28294700

No. SEEPZ SEZ:Estate:AS:61:2019-20: 12045

17 October, 2024

विषय: सीपज़-सेज़ में यूनिट की स्थापना के लिए स्थान के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में।

सीपज़-सेज़ प्राधिकरण सीपज़-सेज़ में स्थित सरकारी स्वामित्व वाले एसडीएफ में रिक्त स्थान/गालों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। जो उद्यमी सेज़ अधिनियम और सेज़ नियमों के अनुसार सीपज़-सेज़ में एक यूनिट स्थापित करने में रुचि रखते हैं, यूनिट स्थापित करने के लिए वे किसी भी सेक्टर में स्थान के लिए अपना प्रस्ताव/आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नवीकरणीय आधार पर 5 साल के पट्टे पर सीपज़ में उपलब्ध स्थानों का विवरण निम्नलिखित है, जो अनुमोदन समिति की मंजूरी के बाद विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी एलओए के साथ सह-टर्मिनस होगा: -

| Sr. No. | Unit Nos. | Location | Carpet area in sq.mtr. |
|---------|-----------|-------------------------------|------------------------|
| 1 | 304 | 3 rd Floor, NEST-2 | 485 |
| 2 | 305 | 3 rd Floor, NEST-2 | 422 |
| 3 | 403 | 4 th Floor, NEST-2 | 710 |
| 4 | 504 | 5 th Floor, NEST-2 | 590 |
| 5 | 601 | 6 th Floor, NEST-2 | 710 |
| 6 | 602 | 6 th Floor, NEST-2 | 710 |
| 7 | 603 | 6 th Floor, NEST-2 | 710 |
| 8 | 604 | 6 th Floor, NEST-2 | 710 |
| 9 | 103 | 1 st Floor, NEST-2 | 30.36 |
| 10 | 104 | 1 st Floor, NEST-2 | 30.36 |
| 11 | 202 | 2 nd Floor, NEST-2 | 30.36 |
| 12 | 203 | 2 nd Floor, NEST-2 | 30.36 |
| 13 | 307 | 3 rd Floor, NEST-2 | 30.36 |
| 14 | 308 | 3 rd Floor, NEST-2 | 30.36 |
| 15 | 404 | 4 th Floor, NEST-2 | 30.36 |
| 16 | 405 | 4 th Floor, NEST-2 | 30.36 |
| 17 | 505 | 5 th Floor, NEST-2 | 30.36 |
| 18 | 506 | 5 th Floor, NEST-2 | 30.36 |
| 19 | 605 | 6 th Floor, NEST-2 | 30.36 |
| 20 | 605 | 6 th Floor, NEST-2 | 30.36 |
| 21 | 121 | SDF-IV | 465 |
| 22 | 121A | SDF-IV | 206 |
| 23 | 122 | SDF-IV | 158 |
| 24 | 164 | SDF-VI | 532 |

स्थान का पट्टा किराया 6500 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होगा।

2. परियोजना स्थापित करने के लिए स्थान के लिए आवेदन आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ निर्धारित फॉर्म-एफ के साथ इस कार्यालय में जमा किए जाने चाहिए, जिसे www.sezindia.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. स्थान आवंटन के लिए पात्रता प्रत्येक आवेदक द्वारा 50 अंकों में से प्राप्त अंकों के आधार पर निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार तय की जाएगी:

(i) 5 वर्षों में निर्यात की परिकल्पना अंक: 10

इसका मतलब है कि आवेदक द्वारा 5 वर्षों के दौरान किए जाने वाले निर्यात की मात्रा और प्रति वर्ग फुट निर्यात प्राप्त करने के लिए इसे क्षेत्र से विभाजित किया जाएगा।

उदाहरण: अगर कोई यूनिट 1000 वर्ग फुट के गाले में 5 वर्षों की अवधि के दौरान 500 करोड़ रुपये का निर्यात करने का प्रस्ताव रखता है। इसका मतलब है कि प्रति वर्ग फुट उसका निर्यात 5 साल के लिए 50 लाख रुपये और प्रति वर्ष 10 लाख रुपये है।

(ii) अगले 5 वर्षों में विकास की परिकल्पना अंक: 10

विकास का अर्थ है 5 वर्षों में निर्यात में वृद्धि की परिकल्पना। हर साल की ग्रोथ ली जाएगी और फिर उसका औसत निकाला जाएगा। निर्यात में वृद्धि का अनुमान लगाते समय, आवेदकों को सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।

उदाहरण: अगर कोई यूनिट पहले वर्ष में 100 रुपये, दूसरे वर्ष में 150 रुपये, तीसरे वर्ष में 200 रुपये, चौथे वर्ष में 175 रुपये और 5 वें वर्ष में 210 रुपये का निर्यात करता है तो उसकी वृद्धि क्रमशः 50%, 33.33% (-)12.5%, 0.2% होगी और इसका औसत (20.20%) 5 साल की अवधि के दौरान वृद्धि के रूप में लिया जाएगा।

(iii) 5 वर्षों में रोजगार की परिकल्पना अंक: 10

इसका मतलब है कि आवेदक द्वारा 5 वर्षों में तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या। उसका औसत प्रति वर्ग फुट निकाला जाएगा। इसमें 5 वर्षों के दौरान सभी कर्मचारी (स्थायी और संविदात्मक) शामिल होंगे।

उदाहरण: अगर कोई यूनिट 1000 वर्ग फुट जगह के लिए आवेदन करता है और उसने पहले वर्ष में 100, दूसरे वर्ष में 125, तीसरे वर्ष में 145, चौथे वर्ष में 160 और 5वें वर्ष में 175 रोजगार उत्पन्न होने का अनुमान लगाया है। अतः औसत रोजगार 695/5=139 होगा। इसका मतलब है कि एक (01) रोजगार के लिए 7.19 वर्ग फुट जगह की आवश्यकता है।

(iv) 5 वर्षों में निवेश की परिकल्पना अंक: 10

आवेदकों को 5 वर्षों में प्रस्तावित कुल निवेश और प्रति वर्ग फुट निवेश का विशेष रूप से उल्लेख करना होगा। इस निवेश में केवल बुनियादी ढांचा और संयंत्र एवं मशीनरी शामिल होगी। विनिर्माण प्रक्रिया के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल और अन्य इनपुट को इसमें नहीं गिना जाएगा। आवेदकों को अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए अपनी वित्तीय क्षमताएं जैसे रिजर्व और सरप्लस में पैसा, स्वीकृत ऋण, आराम पत्र (कम्फर्ट लेटर) और अन्य वित्तीय विवरण जमा करना होगा।

उदाहरण: मान लीजिए कि कोई यूनिट संयंत्र और मशीनरी में 2 करोड़ रुपये, बुनियादी ढांचे में 2 करोड़ रुपये का निवेश करने का प्रस्ताव कर रहा है और 1000 वर्ग फुट के गाले के लिए अपने उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखते हैं। ऐसे मामलों में उनका निवेश केवल 4 करोड़ रुपये गिना जाएगा। इसका मतलब है कि 5 साल के लिए प्रति वर्ग फुट निवेश करने वाले आवेदकों को 40000/- रुपये मिलेंगे।

v) अतिरिक्त बेटेज: उपरोक्त पात्रता मानदंडों के अलावा आवेदकों से निम्नलिखित विवरण भी प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है, जिस पर स्थान आवंटन करते समय प्राथमिकता दी जाएगी: **10 अंक (प्रत्येक को 2 अंक)**

- क) हाथ में निर्यात ऑर्डर की पुष्टीकृत प्रति [कम से कम एक वर्ष के लिए ऑर्डर की प्रतियां जमा की जानी चाहिए]
- ख) आवेदक नए या नवीन उत्पादों की योजना बना रहे हों या नए विचारों (आइडिया/प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हों) (इसमें केवल मौजूदा उत्पादों की ब्रांडिंग शामिल नहीं है)
- ग) मौजूदा सीप्लू यूनिटों को पिछले 5 वर्षों के अपने निर्यात और अपने समूह/सहयोगी कंपनियों के निर्यात का विवरण देना होगा।
- घ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विवरण, यदि कोई हो,
- ङ) दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विनिर्माण या निर्यात में अनुभव रखने वाले आवेदक।

4. डीटीए यूनिट के आवेदन पर भी उपरोक्त मानदंड के अनुसार योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा।

5. उपरोक्त परिभाषित मापदंडों के अलावा, अतिरिक्त शर्तें शामिल की गई हैं जिनमें कहा गया है कि निम्नलिखित आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा:—

- क) जिन आवेदकों का लंबित बकाया या किसी अन्य मामले के कारण सीप्लू-सेज प्राधिकरण के साथ कोई मुकदमा चल रहा है।
- ख) प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए वैध कारण के बिना सेज नियम, 2006 के अनुसार एलओए जारी होने के 6 महीने बाद भी उप-पट्टा समझौता जमा न करना।
- ग) उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास एफई वसूली के लिए लंबित आवेदकों की तुलना में आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमेय सीमा से परे कोई विदेशी मुद्रा लंबित नहीं है: अनुमेय समय सीमा से परे। लंबित एफई पर प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा।

6. आवेदक को "ए" में विवरण संलग्न अनुलग्नक ए जमा करना होगा।

7. आवेदक को विशिष्ट इकाई संख्या का उल्लेख करना होगा। और उनकी आवश्यकता के अनुसार क्षेत्र विशिष्ट इकाई संख्या/गाला संख्या और क्षेत्र के बिना किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. आवेदन निम्नलिखित प्रकार से होना चाहिए:—

- (क) रुपये का डिमांड ड्राफ्ट। 5000/- फॉर्म एक के अनुसार
- (ख) आवेदन और स्थान की आवश्यकता का विवरण देते हुए अधोषित पत्र
- (ग) फॉर्म एक
- (घ) अनुलग्नक क
- (ङ) सहायक दस्तावेज
- (च) बिंदु संख्या 5 के संबंध में घोषणा

9. उपरोक्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन एक सीलबंद लिफाफे में संपदा प्रबंधक, दूसरा तल, सर्विस सेंटर बिल्डिंग के पते पर जमा किए जाने चाहिए। सीप्लू-सेज में कंपनी के कर्मचारी द्वारा हाथ से हिलीवरी द्वारा या स्पीड पोस्ट/कूरियर के माध्यम से जमा किए जाने चाहिए। लिफाफे के ऊपर "सीप्लू-सेज में स्थान का आवंटन" लिखा होना चाहिए और **08.11.2024 को शाम 4.00 बजे** तक या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। निश्चित अवधि के बाद प्राप्त

और अपूर्ण/खुले आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। सीप्लज़ के किसी भी बॉक्स में डाले गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी सीलबंद लिफाफे 08.11.2024 शाम 5.00 बजे को सम्मेलन कक्ष, दूसरी मंजिल, सीप्लज़ सेज़ सेवा में आवेदकों/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोले जाएंगे और इस संबंध में अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

10. इस उद्देश्य के लिए गठित एक समिति द्वारा आवेदनों की जांच की जाएगी और स्थान का आवंटन अंतिम आधार पर किया जाएगा और अंतिम आवंटन अनुमोदन समिति द्वारा परियोजना की मंजूरी और एलओए जारी करने और सेज़ प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद किया जाएगा।

11. आवंटियों/उद्यमियों को अनुमोदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने के भीतर उप-पट्टा समझौता निष्पादित करना होगा।

12. आवश्यक स्थान के लिए वार्षिक किराया/सेवा शुल्क/बीएमसी कर का भुगतान परिसर के आवंटन पर अग्रिम रूप से किया जाना चाहिए। अन्य सभी शुल्कों का भुगतान यूनिट धारक को वास्तविक रूप से करना होगा।

यह विकास आयुक्त/अध्यक्ष, सीप्लज़ सेज़ प्राधिकरण के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

-हस्ता-

(डॉ. प्रसाद वरवटकर)
संपदा अधिकारी
सीप्लज़-सेज़

प्रति,

- i. एसईईपीजेड वेबसाइट
- ii. समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए एडीसी/एस्टेट
- iii. नोटिस बोर्ड
- iv. एसजीजेएमएईपीसीईएस/सीमा/

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीएज विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096.



Government of India
Ministry of Commerce & Industry,
Office of the Development Commissioner,
SEEPZ-Special Economic Zone,
Andheri (E), Mumbai - 400096.

वेबसाइट : www.seepz.gov.in, ई-मेल : dcseepz-mah@nic.in, टेलीफोन : 022-28290856/28294700

F. No. SEEPZ SEZ/Estate/AS/61/2019-20: 12045
Date 17.10 2024

Sub: Inviting Applications for allotment of space for setting up of Unit in SEEPZ SEZ - reg.

The SEEPZ SEZ Authority invites applications for allotment of spaces/Galas in the Govt. owned buildings. The entrepreneurs who are interested in setting up Unit at SEEPZ-SEZ in terms of the SEZ Act and SEZ Rules, may submit their proposal/application for space for any sector. Following are the details of spaces available on a 5 years, lease on renewable basis, which will be co-terminus with the LOA issued by the O/o the Development Commissioner after approval of the Approval Committee :-

| Sr. No. | Unit Nos. | Location | Carpet area in sq.mtr. |
|---------|-----------|-------------------------------|------------------------|
| 1 | 304 | 3 rd Floor, NEST-2 | 485 |
| 2 | 305 | 3 rd Floor, NEST-2 | 422 |
| 3 | 403 | 4 th Floor, NEST-2 | 710 |
| 4 | 504 | 5 th Floor, NEST-2 | 590 |
| 5 | 601 | 6 th Floor, NEST-2 | 710 |
| 6 | 602 | 6 th Floor, NEST-2 | 710 |
| 7 | 603 | 6 th Floor, NEST-2 | 710 |
| 8 | 604 | 6 th Floor, NEST-2 | 710 |
| 9 | 103 | 1 st Floor, NEST-2 | 30.36 |
| 10 | 104 | 1 st Floor, NEST-2 | 30.36 |
| 11 | 202 | 2 nd Floor, NEST-2 | 30.36 |
| 12 | 203 | 2 nd Floor, NEST-2 | 30.36 |
| 13 | 307 | 3 rd Floor, NEST-2 | 30.36 |

| | | | |
|----|------|-------------------------------|-------|
| | | 2 | |
| 14 | 308 | 3 rd Floor, NEST-2 | 30.36 |
| 15 | 404 | 4 th Floor, NEST-2 | 30.36 |
| 16 | 405 | 4 th Floor, NEST-2 | 30.36 |
| 17 | 505 | 5 th Floor, NEST-2 | 30.36 |
| 18 | 506 | 5 th Floor, NEST-2 | 30.36 |
| 19 | 605 | 6 th Floor, NEST-2 | 30.36 |
| 20 | 605 | 6 th Floor, NEST-2 | 30.36 |
| 21 | 121 | SDF-IV | 465 |
| 22 | 121A | SDF-IV | 206 |
| 23 | 122 | SDF-IV | 158 |
| 24 | 164 | SDF-VI | 532 |

The lease rent for the space shall be @ Rs. 6500 per sq. mtr. p.a.

2. The applications for space for setting up the project along with the requisite necessary supporting documents should be submitted to this office with the prescribed Form-F which may be downloaded from www.sezindia.nic.in.

3. The eligibility for allotment of space will be decided on the Marks obtained by each applicant out of 50 Marks, as per the following criteria:

i. Export envisaged in 5 years

Max. Marks: 10

It means the quantum of export to be made by the applicant during 5 years and that shall be divided by the area to get the per Sq. feet export.

Example: If a unit proposes to make export of Rs. 500 crores during the span of 5 years in 1000 Sq. feet gala. It means their export per Sq. feet is Rs. 50 lakhs for 5 years and Rs. 10 lakhs per year.

ii. Growth envisaged in next 5 years

Max. Marks: 10

Growth means growth in export envisaged in 5 years. Each year's growth will be taken and then its average will be worked out. While projecting the Growth in export, applicants have to provide supporting documents.

Example: A unit is doing export of Rs.100 in 1st year, Rs.150 in 2nd year, Rs. 200 in 3rd year, Rs.175 in 4th year and Rs. 210 in 5th year. Hence their growth will be 50%, 33.33% (-)12.5%, 20% respectively and its average(20.20%) will be taken as growth during 5 years period.

iii. Employment envisaged in 5 years

Max.

Marks: 10

It means number of employees to be deployed by the applicant in 5 years. Average of that shall be calculated in per Sq. feet. It will be inclusive of all employees (permanent and contractual) during 5 years

Example: A unit is applying for 1000 Sq. feet space and they project the employment to be generated as 100 in 1st year, 125 in 2nd year, 145 in 3rd year, 160 in 4th year and 175 in 5th year, then the average employment will be $695/5=139$. It means 7.19 Sq. feet needed for one (1) employment.

iv. **Investment envisaged in 5 years-**

Max.

Marks: 10

Applicants have to specifically mention the proposed total Investment in 5 years and per Sq. ft. investment. This investment shall include only Infrastructure and Plant & Machinery. Raw Material and other inputs used for the manufacturing process shall not be counted in it. Applicants have to submit their financial capabilities such as money in Reserve & Surplus, Loan approved, letter of comforts and other financial details to substantiate their claim.

Example: Suppose a unit proposing to make investment of Rs. 2 Cr. in plant and machinery, Rs.2 Cr. in Infrastructure and they propose Rs. 5 Cr. for Raw Materials required for their production for the gala of 1000 Sq. Feet. In such case their investment will be counted as Rs. 4 Cr. Only. It means per Sq. Feet investment for 5 years is Rs.40000/-

v. **Additional Weightage:**

Max. Marks 10

- a. Confirmed export orders in hand [copies to be submitted for orders of atleast one year] : **2 marks**
- b. Applicant planning for new or innovative products or using new idea/technology (This excludes mere branding of existing products) : **2 marks**
- c. Existing SEEPZ unit must give the details of their exports & exports of their group/ sister concerns in last 5 years. : **2 marks**
- d. Foreign Direct Investment, if any, : **2 marks**
- e. Applicant having experience in manufacturing or export based on the documentary evidence : **2 marks.**

4. Application of DTA units will also be considered on merit in terms of above criterion.

5. In addition to the above following applications will not be considered :-

- a. Applicants having any litigations with SEEPZ SEZ Authority on

account of pending dues or any other matter.

- b. Non-submission of sub-lease agreement even after 6 months of issuance of LOA as per SEZ Rules 2006 without valid reason to the satisfaction of the Authority
- c. Applicant having no foreign exchange pending beyond the permissible limit as per RBI guidelines only will be considered. Declaration to be submitted on FE pendency.

6. The applicant has to submit details in Annexure "A" enclosed.

7. The applicant has to mention the specific unit no. and the area as per their requirement Any application without specific unit no./gala no. and the area will not be considered.

- a. The application should be in the following manner :-
 - (a) Demand draft of Rs. 5000/- as per Form F
 - (b) Forwarding letter giving details of the application and requirement of space
 - (c) Form F
 - (d) Annexure A
 - (e) Supporting documents
 - (f) Declaration i.r.o. point no. 5

9. The applications complete in all respect, as per the above instructions, should be submitted in a sealed envelope addressed to Estate Officer, 2nd Floor, Service Centre Bldg. SEEPZ SEZ either by hand delivery by employee of the company or through speed post/courier. The envelope should be superscribed "ALLOTMENT OF SPACE IN SEEPZ-SEZ" and reach on or before **08th November, 2024 upto 04.00 P.M.** The applications received beyond the stipulated period and incomplete/open will not be accepted and the same will be rejected. The applications submitted in any other manner will not be entertained. All sealed envelopes will be opened in presence of applicants/representatives on **08.11.2024 at 05.00 p.m.** at Conference room, 2nd floor, SEEPZ SEZ Service and no separate intimation will be given in this regard.

10. Applications will be scrutinized by a Committee constituted for this purpose and allotment of space will be done on provisional basis and final allotment shall be made after approval of project by the Approval Committee and issuance of LOA and approval of SEZ Authority.

11. The Allottees/Entrepreneurs shall execute the sub-lease agreement within 6 months from the date of receipt of the Letter of Approval.

12. The annual rent/service charges/BMC Taxes for the required space to be paid

in advance on final allotment of the premise. All the other charges have to be paid in actual by the Unitholder.

This issues with the approval of Development Commissioner/Chairman SEEPZ SEZ Authority.

Signed by Prasad
Hanumantrao Varwantkar
Date: 17-10-2024 11:51:25

(Dr. Prasad Varwantkar)
(Estate Officer)
SEEPZ SEZ Authority

To,

- a. SEEPZ Website,
- b. ADC/Estate for publishing in Newspapers.
- c. Notice Boards
- d. SGJMA/SEEMA/EPCES

